



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

No. 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2002/भाद्र 22, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2002/BHADRA 22, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2002

सा.क्र.नि. 644 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्प्रिट और उच्च ब्रेंज डीजल (प्रदान और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3 (च) के साथ पटित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करती है कि निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. 2796 के अनुसार केवल पांच प्रतिशत इथानोल संमिश्रित पेट्रोल का पहली जनवरी, 2003 से विक्रय किया जाएगा, अर्थात् :—

राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1. दमन दीव
2. गोवा	2. दादरा और नागर हवेली
3. गुजरात	3. चंडीगढ़
4. हरियाणा	4. पाण्डिचेरी
5. कर्नाटक	
6. महाराष्ट्र	
7. पंजाब	
8. तमिलनाडु	
9. उत्तर प्रदेश	

[फा. सं. पी-45018/28/2000-सी.सी.]

एम. विजयराघवन, मंत्रिकृत सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2002

G.S.R. 644(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3 (F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby directs that in the following States and Union Territories only 5 % ethanol blended petrol, as per Bureau of Indian Standards specification No. 2796 shall be sold from the first January 2003, namely :—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Daman Diu
2. Goa	2. Dadra and Nagar Haveli
3. Gujarat	3. Chandigarh
4. Haryana	4. Pondicherry
5. Karnataka	
6. Maharashtra	
7. Punjab	
8. Tamil Nadu	
9. Uttar Pradesh	

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jr. Secy.